फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2023–24 हेतु प्रदान किये गये अनुमोदन/अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के संबंध में दिनांक 19–09–2023 को पूर्वान्ह 11.30 बजे निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति :–

1.	श्री एफ0 आर0 खान, निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान–	अध्यक्ष
2.	श्री जे0एल0 वर्मा, संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पश्चिमी क्षेत्र, मेरठ–	सदस्य
3.	श्री एस0के0 सिंह, संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, बुन्देलखण्ड क्षेत्र, झांसी–	सदस्य
4.	श्री तजम्मुल अफजाल, संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र, वाराणसी–	सदस्य
5.	श्री राम रतन, प्रधानाचार्य, संजय गांधी पाली0 जगदीशपुर, अमेठी–	सदस्य
6.	श्री एल0पी0 सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पाली0 अयोध्या–	सदस्य
7.	श्री जयराम, प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, अयोध्या–	सदस्य
8.	श्री अशोक कुशवाहा, प्रधानाचार्य, एम0एम0आई0टी0, सिद्धार्थनगर–	सदस्य
9.	श्री अजीत कुमार मिश्र, सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ–	सदस्य/सचिव

समिति के अन्य सदस्य अपरिहार्य कारणों से बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। समिति द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर गहन विचार–विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय निम्नवत् है :–

मद–1 दिनांक 02–08–2023 को आहूत हुई सम्बद्धता समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करना।

समिति द्वारा दिनांक 02–08–2023 को आहूत हुई सम्बद्धता समिति की बैठक की कार्यवाही का अवलोकन किया गया एवं सर्वसम्मति से कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

मद–2 छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति द्वारा आवंटित धनराशि में अनियमितता किये जाने के संबंध में जनपद मथुरा के 13 शिक्षण संस्थान जिसमें से 07 संस्थान परिषद से सम्बद्ध हैं, को समाज कलयाण निदेशालय द्वारा काली सूची में रखते हुए संबंधित संस्थानों की मान्यता समाप्त किये जाने हेतु शासन के माध्यम से अनुरोध किया गया है। दिनांक 25–7–2023 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में प्रश्नगत संस्थानों से इस संबंध में प्राप्त स्पष्टीकरण/आख्या के अनुक्रम में विचार–विमर्श करना एवं निर्णय लेना।

समिति द्वारा प्रकरण का संज्ञान लिया गया कि पारित आदेश के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका में मा0 न्यायालय ने छात्र/छात्राओं के दृष्टिगत शुल्क प्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति के दावों को अग्रसारित करने का आदेश पारित किया जो परिषद से संबंधित नहीं है। प्रश्नगत संस्थाओं द्वारा कूट रचित ढ़ंग से फर्जी आदेश बनाने में दर्ज

एफ0आई0आर0/क्रिमिनल केस के संबंध में कोई भी निर्णय नहीं दिया गया।

परिषद द्वारा दी गयी सम्बद्धता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि–''**संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्यकारी है।**''

उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 (यथा संशोधित–1974) के पैरा–13 के बिन्दु–2 के उपबिन्दु **(v)** में ''**to withdraw affiliation of an institution not able to adhere to make provision for, standards of staff, instruction equipment or buildings laid down by the Board, or on its failure to observe the conditions of affiliation, to the satisfaction of the Board;**

एवं **(vi)** में **to call for reports from the heads of affiliated institutions in respect of any act of contravention of the rules or regulations or decisions, instructions or directions of the Board, and take suitable action for the enforcement of the rules or regulations or decisions, instructions or directions of the Board, in such manner as may be prescribed by the regulations;** का उल्लेख है।

अतः समिति का मत है कि निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 02 जून 2023 में किये गये अनुरोध के क्रम में सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों तथा परिषद के अधिनियम में सम्बद्धता को वापस लेने/विस्तार प्रदान न करने संबंधी दिये गये अधिकार के निमित्त शासन के अग्रिम दिशा–निर्देश न प्राप्त होने तक सम्बद्धता विस्तार न प्रदान किया जाये एवं कृत कार्यवाही से फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली को अवगत करा दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक संपन्न हुई।

19/09/23
(अजीत कुमार मिश्र)
सदस्य/सचिव

Khan 19/09/2023
(एफ0 आर0 खान)
अध्यक्ष